पत्र संख्या–6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)–24/2019–

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 1.00 (एक करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में जिला उद्योग केन्द्रों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 1.00 (एक करोड़) की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने की कृपा की गयी है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण, कम्प्यूटराईजेशन एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, ताकि जिला उद्योग केन्द्र विकसित क्षमता के साथ कार्य कर सके।

3. उक्त स्वीकृत राशि बजट मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163 अन्तर्गत विषय शीर्ष 1301 कार्यालय व्यय मद से रू0 83.00 लाख (तेरासी लाख) मात्र एवं विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य मद से रू0 17.00 लाख (सतरह लाख) मात्र उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एक मुश्त राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा/RTGS द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, इंदिरा भवन, रामचरित्र सिंह पथ, पटना को उपलब्ध करायेगें।

5. इस स्कीम के मुख्य नियंत्री, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक उद्योग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें। स्कीम से संबंधित व्यय विवरणी मूल प्रमाणक प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर डी0 सी0 विपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे।

6. स्वीकृत राशि योजना कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध करायी जाएगी। प्रायः यह देखा गया है कि कार्य एजेंसी को एक बड़ी राशि उपलब्ध कराने के पश्चात लंबे समय तक योजना का कार्यान्वयन पूर्ण नहीं किया जाता है अथवा आधे–अधूरे कार्य किये जाते हैं, जिससे व्यय से संबंधित आधे–अधूरे उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने के कारण सकल राशि का सामांजन अवरूद्ध हो जाता है। साथ ही साथ आगे की अवधि में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की स्वीकृति में कठिनाई के कारण योजनाएँ अपूर्ण रह जाती हैं। अतः कार्य एजेंसी योजना के कार्यान्वयन हेतु एक निश्चित समय–सीमा का निर्धारण करेगें तथा राशि का व्यय निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत करेगें। समय पर राशि का व्यय नहीं किये जाने पर कार्य एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(कृ0 पृ0 उ0)

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 वि0, दिनांक 20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार की जाएगी। प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव की स्वीकृति संचिका संख्या–6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)–24/2019 (पृ0 4/टि0) पर दिनांक– 26.02.2018 को प्राप्त है।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0 (2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं पत्रांक 2938 वि0 (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जाएगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ह0/

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)–24/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)–24/2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6(स0)/औ0वि0नि0 (आधुनिकीकरण)–24/2019– 1414 /पटना, दिनांक– 12.03.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/अई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6(स0), उद्योग विभाग को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

8/3/19